


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/PAUSA 16, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

फा.सं.1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013 - खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013 तारीख 12 जून, 2015 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 20 और 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के "फसली संदूषक और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ" से संबंधित विनियम 2.2 में:--

(क) "प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ" से संबंधित खंड (2) के पश्चात् उप विनियम 2.2.1 में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"3. मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद में पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) और पोलिसाइक्लिक ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) मिश्रण:

क्रम सं.	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी28, पीसीबी52, पीसीबी101, पीसीबी138, पीसीबी153 और पीसीबी180)	अंतर्देशीय और प्रवासी मत्स्य	2.0 पीपीएम
2.	पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी28, पीसीबी52, पीसीबी101, पीसीबी138, पीसीबी153 और पीसीबी180)	समुद्री मत्स्य, क्रस्टाशिएन्स और मोलस्क	0.5 पीपीएम
3.	बेंजो(ए)पाइरेन	स्मोकड फिशरी प्रोडक्ट्स	5.0 पीपीबी."

3. "अवशिष्ट" से संबंधित विनियम 2.3 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"2.4. मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद में बायोटाक्सिन्स की सीमाएं :

क्रम सं.	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	सीमा (म्यू जी/कि.ग्रा.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पैरालिटिक शैलफिश पॉइसन (पीएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	80 म्यू जी/100ग्राम (साक्सीटोक्सिन इक्यूवेलेंट)
2.	एमनिसिक शैलफिश पॉइसन (एएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	20 म्यू जी/ग्रा. (डोमोइक एसिड इक्यूवेलेंट)

3.	डायरहेटिक शैलफिश पॉइसन (डीएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	160 म्यू जी ऑफ ओकेडायक ऐसिड इक्यूवेलेंट/कि.ग्रा.
4.	अज़ास्पीरासिड पॉइसन (एजेडपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	160 म्यू जी ऑफ अज़ास्पीरासिड इक्यूवेलेंट/कि.ग्रा.
5.	ब्रीवटोक्सिन (बीटीएक्स)	बॉइवाल्व मोल्सक	200 माउस यूनिट अथवा इक्यूवेलेंट/कि.ग्रा."

[विज्ञा. III/4/असा.]

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014;
- (ii) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (iii) फा. सं.1-99/1/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2009, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (iv) फा. सं.1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014, तारीख 4 नवंबर, 2015।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2016

F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013,—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2015 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013 dated the 12th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th July, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to “crop contaminants and naturally occurring toxic substances”:-

(a) in sub-regulation 2.2.1, after clause 2 relating to “Naturally Occurring Toxic Substances”, the following clause shall be inserted, namely:-

“3. Polychlorinated biphenyls (PCBs) and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in Fish and Fishery Products:

Sl.No.	Name of the contaminants	Article of food	Limit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Polychlorinated biphenyls (Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180)	Inland and Migratory Fish	2.0 ppm
2.	Polychlorinated biphenyls (Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180)	Marine Fish, Crustaceans and molluscs	0.5 ppm
3.	Benzo(a)pyrene	Smoked Fishery Products	5.0 ppb.”

3. After regulation 2.3 relating to “Residues”, the following regulation shall be inserted namely:-

“2.4. Limits of biotoxins in fish and fishery products:

Sl. No.	Name of the contaminants	Article of food	Limit (µg/kg)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paralytic Shellfish Poison (PSP)	Bivalve Molluscs	80 µg/100g (Saxitoxin Equivalent)
2.	Amnesic Shellfish Poison (ASP)	Bivalve Molluscs	20 µg/g (Domoic acid equivalent)
3.	Diarrhetic shellfish poison (DSP)	Bivalve Molluscs	160 µg of Okadaic acid equivalent/Kg
4.	Azaspiracid poison (AZP)	Bivalve Molluscs	160 µg of azaspiracid equivalent/Kg
5.	Brevetoxin (BTX)	Bivalve Molluscs	200 mouse units or equivalent/Kg.”

[ADVT.III/4/Exty./]

PAWAN KUMAR AGARWAL, Chief Executive Officer

Note. -The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3rd December, 2014;
- (ii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (iii) F. No. 1-99/1/SP(contaminants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015.